उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-8

संख्या-2364 /पांच-8-2020-जी0(290)/2017टी0सी0-II

लखनऊ: दिनांक 11 सितम्बर, 2020

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत एलोपैथिक चिकित्साधिकारी के पद पर लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा वर्ष 2019 में किये गये चयन के फलस्वरूप पत्र संख्या-219/93/डी0आर0/सेवा-8/2017-18, दिनांक 10 अक्टूबर2019 में 1307, पत्र संख्या-219(1)/93/डी0आर0/सेवा-8/2017-18, दिनांक 07 दिसम्बर2019 में 565, पत्र संख्या-219(IV)/93/डी0आर0/सेवा-8/2017-18,दिनांक 27 फरवरी, 2020 में 77 एवं पत्र संख्या-219/93/डी0आर0/सेवा-8/2017-18, दिनांक 15 जून, 2020 में 15 चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति की संस्तुति के क्रम में प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान रू0 15,600-39,100/- ग्रेड पे रू0 5400/- में एलोपैथिक चिकित्साधिकारी के पद पर संलग्न सूची के अनुसार मौलिक रूप से अस्थायी रूप से नियमित नियुक्ति प्रदान करते हुए उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित **चिकित्सा इकाई एवं जनपद** में निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत तैनात करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2004 के नियम 18 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

2- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी का स्वास्थ्य परीक्षण मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा किया जायेगा और उक्त परिषद् द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने के उपरान्त ही उन्हें कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। इस हेतु चिकित्साधिकारी अपने नियुक्ति पत्र सहित अपनी तैनाती के मण्डल के अपर निदेशक से शर्त **क्रमांक-5** में निर्धारित अवधि में सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण हेतु उपस्थित होगे।

3- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी संलग्न निर्धारित शपथ पत्र के प्रारूप पर अपने चरित्र प्राग्वृत्त का सत्यापन स्वयं करेगा। उसमें यदि कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आता है, तो उनकी सेवायें शासन स्तर से तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।

4- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे। उन्हें उ0प्र0 सरकारी डाक्टर(एलोपैथिक) प्राईवेट प्रैक्टिस पर निर्बन्धन नियमावली, 1983 यथासंशोधित शासनादेश संख्या-248/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97, दिनांक 01 फरवरी, 2003 एवं पुन: संशोधित शासनादेश संख्या-2746/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97टी0सी0, दिनांक 28 मई, 2005 के अन्तर्गत प्राईवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी और नियमानुसार प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।

क्रमश:

5- सम्बन्धित चिकित्सक **पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर** तक अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती के जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष उपस्थित होगें तथा शर्त क्रमांक-7 में उल्लिखित समस्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि वे उक्त निर्धारित अवधि में अपनी तैनाती के जनपद में योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन समाप्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

6- नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु चिकित्साधिकारियों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

7- चिकित्साधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व निम्न प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे :-

(1) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से, जो सक्रिय सेवा में और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हो, अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र (संलग्नक प्रारूप में)

(2) अभियोजन न चलाये जाने, न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा चरित्र प्रागवृत्त सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आने पर सेवायें समाप्त करने के सम्बन्ध में शपथ पत्र (संलग्न प्रारूप पर)।

(3) उ0प्र0 मेडिकल काउन्सिल द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियां।

(4) ओथ एलीजियन्श का प्रमाण पत्र।

(5) गोपनीयता का प्रमाण पत्र।

(6) चल अचल सम्पत्ति का प्रमाण पत्र।

(7) एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का प्रमाण पत्र।

(8) मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र।

8- संबंधित चिकित्सक को स्नातकोत्तर पाठयक्रम में प्रवेश हेतु शासनादेश संख्या-04/2020/197/चि0-3-2020-जी0-06/2013टी0सी0-।।, दिनांक 07-02-2020 में विहित व्यवस्थानुसार अनुमन्य लाभ प्राप्त होंगे।

9- संलग्न सूची में अंकित चिकित्साधिकारियों में से यदि कोई चिकित्साधिकारी पूर्व से पी0एम0एच0एस0 संवर्ग में कार्यरत है, तो उसे यह लिखित रूप में विकल्प देना होगा कि वह पूर्व में की गयी नियुक्ति के आधार पर सेवा में रहना चाहता है या वर्तमान में की गई नियुक्ति के आधार पर। यदि किसी चिकित्साधिकारी द्वारा वर्तमान में की गई नियुक्ति के आधार पर सेवा में रहने का विकल्प दिया जाता है, तो उसके द्वारा पूर्व में की गई सेवा की गणना वरिष्ठता निर्धारण हेतु नहीं की जायेगी।

क्रमशः

2- प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित ज्येष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

3- देश में कोरोना की गम्भीर महामारी से लाकडाउन के दृष्टिगत चिकित्सकों के स्वास्थ्य परीक्षण के संबंध में शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1098 /पांच-8-2020-जी0(290)/2017 टी0सी0-II, दिनांक 02-04-2020 द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक-तैनाती सूची 10 एवं शपथ पत्र का प्रारूप।

वी0 हेकाली झिमोमी
सचिव।

संख्या- 2364 (1)/पांच-8-2020-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

2- संबंधित जिलाधिकारी।

3- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को उनके पत्र संख्या-219/93/डी0आर0/सेवा-8/2017-18, दिनांक 10 अक्टूबर 2019, पत्र संख्या-219(1)/93/डी0आर0/सेवा-8/2017-18, दिनांक 07 दिसम्बर2019, पत्र संख्या-219(IV)/93/डी0आर0/सेवा-8/2017-18,दिनांक 27 फरवरी, 2020 एवं पत्र संख्या-219/93/डी0आर0/सेवा-8/2017-18, दिनांक 15 जून, 2020 के क्रम में।

4- महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन),चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियुक्ति आदेश को सर्व सम्बन्धितों को अपने स्तर से (रजिस्टी/ई-मेल के माध्यम से)उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। नियुक्ति में कोई भी परिवर्तन शासन स्तर से ही किया जायेगा।

5- सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियुक्त किये गये चिकित्साधिकारियों के स्वास्थ्य परीक्षण की तत्काल व्यवस्था करायें तथा चिकित्साधिकारी को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया जाय, जिससे कार्यभार ग्रहण करने में अनावश्यक विलम्ब न हो, किन्तु मेडिकल बोर्ड द्वारा स्थायी रूप से अयोग्य घोषित किये गये चिकित्साधिकारी के मामले में स्वास्थ्य परीक्षण कराये जाने हेतु शासन को सन्दर्भित किया जायेगा।

6- अधिशासी अधिकारी उत्तर प्रदेश तकनीकी सहयोग इकाई लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश को मानव सम्पदा साफटवेयर में अपलोड करने का कष्ट करें।

7- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।

क्रमश:

8- संयुक्त निदेशक(कार्मिक/गोपन),चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।

9- सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी को इस निर्देश के साथ कि वे नियुक्त चिकित्साधिकारी को मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने पर निर्धारित तिथि तक उनके प्रस्तर-7(1) में उल्लिखित अभिलेखों को प्राप्त कर योगदान आख्या शासन को विलम्बतम एक सप्ताह में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

10- संबंधित मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका।

11- सम्बन्धित कोषाधिकारी, उ0प्र0।

12- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी द्वारा महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संबंधित चिकित्सक को उनके ई-मेल/रजिस्टर्ड डाक द्वारा उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

13- गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल

आज्ञा से,

(शिवगोपाल सिंह)

उप सचिव।

कार्यालय–ज्ञाप संख्या–2265/पांच–8–2020–जी(290)/2017–टी0सी0–2, दिनांक 11.09.2020 की तैनाती सूची का संलग्नक

क्र. सं	चयन क्रमांक	अनुक्रमांक	चिकित्साधिकारी का नाम/पिता/पति का नाम/ पत्र व्यवहार का पता	श्रेणी	गृह जनपद	योग्यता/ विशेषज्ञता	तैनाती चिकित्सा इकाई/ जनपद
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	एस-08	53100053241	डा0 शिवाश्री तिवारी पुत्री श्री प्रभुनारायन तिवारी, पता-म0नं0-93, वार्ड नं0-12 मोहल्ला चप्पाती कैमगंज फर्रूखाबाद उ0प्र0-207502	सामान्य	फर्रूखाबाद	एम0बी0बी0एस0	पी0एच0सी0 शाहपुर तहला कासगंज
2.	एस-82	53100413309	डा0 दीपिका केसरवानी, पत्नी सुजीत कुमार, पता- वार्ड नं0-5, शीतला मन्दिर की गली, पूरब मोहल्ला राबर्टसगंज, जिला- सोनभद्र (उ0प्र0) पिन- 231216	सामान्य	सोनभद्र	एम0बी0बी0 एस0 एम0डी0 (एनेस्थिसिया)	सी0एच0सी0 चिराईगॉव वाराणसी
3.	एस-421	53100337939	डा0 आकांक्षा यादव, पुत्री श्री भीम सिंह यादव, पता- 13/586, यादव भवन, लक्ष्मी नगर जिला- बुलन्दशहर (उ0प्र0)	ओ0बी0सी0	बुलन्दशहर	एम0बी0बी0एस0	पी0एच0सी0 पलसेडा अलीगढ
4.	एस-838	53100438336	डा0 कादंबरी त्यागी, पुत्री श्री लोकेश्वर शर्मा, पता- सी- 32 मानसरोवर साकेत, गली न0-6 जिला-मेरठ (उ0प्र0) पिन- 250003	सामान्य	मेरठ	एम0बी0बी0एस0	ई0एम0ओ0 अधीन मु0चि0अधी0जि0 चिकि0 सम्भल
5.	एस-882	53100324459	डा0 ऐश्वर्या गुप्ता, पुत्री श्री सत्य भूषण गुप्ता, पता- मकान न0- 877, न्यू म0न0- 1360, ब्रह्मपुरी जिला-मेरठ (उ0प्र0) पिन- 250002	सामान्य	मेरठ	एम0बी0बी0एस0	पी0एच0सी0 नोली हरनाथपुर बदायूं
6.	एस- 1114	53100258387	डा0 नीरज मिश्रा, पुत्र श्री शीतला प्रसाद मिश्रा, पता- ग्राम- शेखूपुर, पो0 शाहपुर, थाना- रानीगंज, जिला- प्रतापगढ़	सामान्य	प्रतापगढ़	एम॰बी॰बी॰एस॰	पी0एच0सी0 लल्लूपारा कासगंज
7.	एस-1459	53100328589	डा0 सुजीत कुमार यादव पुत्र श्री रामचंद्र यादव, पता- ग्रा0 रैचनपुर पो0 कोतवाशुकुलपुर, लालगंज,जिला- प्रतापगढ (उ0प्र0)	ओ0बी0सी0	प्रतापगढ	एम0बी0बी0एस0	वी0पी0एच0सी0 भेटुआ अमेठी
8.	एस-1659	53100270857	डा0 कौशल कुमार पटेल, पुत्र श्री नगेश्वर पटेल, पता- भवानीपुर, पो0 अन्तू, तह0 सदर, जिला-प्रतापगढ (उ0प्र0) पिन-230501	ओ0बी0सी0	प्रतापगढ	एम0बी0बी0एस0	सी0एच0सी0 अहिरोरी हरदोई
9.	एस-1660	53100363634	डा0 दीपक कुमार निरंजन, पुत्र श्री रामकुमार निरंजन, पता- 3541, पटेल नगर उरई कुर्मी कालोनी सर्वोदय इण्टर कालेज, उरई, जिला-जालौन (उ0प्र0)	ओ0बी0सी0	जालौन	एम0बी0बी0एस0	पी0एच0सी0 खर्गपुरसरैया, इटावा।
10.	एस- 1795	53100120482	डा0 आनन्द कुमार सिन्हा, पुत्र, ईश्वर प्रसाद सिन्हा, पता- ग्राम/पो0-पहलवानपुर, जिला- गाजीपुर,उ0प्र0पिन-233311	अनुसूचितजाति	गाजीपुर	एम0बी0बी0एस	सी0एच0सी0 खांडसा अयोध्या

(शिवगोपाल सिंह)
उप सचिव।

प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत एलापैथिक चिकित्साधिकारी के पदों पर लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा वर्ष 2019 में चयनित चिकित्साधिकारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ-पत्र का प्रारूप।

समक्ष मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक---------------------शपथ पत्र डा0------------------------- पुत्र श्री/डा0--------------------------------निवासी--------------------------जनपद-------------------मैं डा0-------------------------------- शपथकर्ता उपरोक्त निम्नलिखित बयान करता हूँ:-

1. यह कि शपथकर्ता की नियुक्ति शासन के कार्यालय ज्ञान संख्या------------------------------ दिनांक ----------------द्वारा उ0प्र0 प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत एलोपैथिक चिकित्साधिकारी के सामान्य उपसंवर्ग के पद पर नियुक्त करते हुए मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक--के अधीन तैनात किया गया है।
2. यह कि शपथकर्ता के विरूद्व कोई आपराधिक मामला अथवा अन्य कोई ऐसा मामला लम्बित अथवा विचाराधीन नहीं है, जो उसे उक्त पद पर योगदान करने अथवा शासकीय सेवा करने के लिए आयोग्य ठहराता हो।
3. यह कि शपथकर्ता के चरित्र एवं प्राग्वृत्त संगठन का सदस्य नहीं है।
4. यह कि शपथकर्ता के चरित्र एवं प्राग्वृत्त सत्यापन में कोई अन्यथा तथ्य एवं प्रतिकूल तथ्य पाये जाने की दशा में मेरी नियुक्ति निरस्त कर विधि समस्त कार्यवाही की जाती है, तब प्रश्नगत नियुक्ति/तैनाती के सम्बन्ध में कोई अधिकार/दावा/क्षतिपूर्ति क्लेम नहीं करूँगा और उ0प्र0 शासन को अधिकार होगा कि वह बिना कोई कारण बताये मेरी नियुक्ति निरस्त/समाप्त कर दें।

दिनांक----------

<u>सत्यापन</u>

मैं डा0----------------शपथकर्ता ईश्वर की शपथ लेकर/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि उक्त शपथ-पत्र के प्रस्तर-1 से 4 के तथ्य मेरे निजी ज्ञान में सच व सही है, कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। ईश्वर मेरी मदद करे।

दिनांक---------------

चरित्र प्रमाण-पत्र

मैं प्रमाणित करता हूँ कि डा0-----------------------पुत्र श्री---------------------------
निवासी---
को विगत--------------------वर्षो/माह में व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। मेरे संज्ञान में ऐसे कोई तथ्य नहीं हैं, जो इनके प्रतिकूल हो।

डा0-------------------------------मेरे निकट सम्बन्धी नहीं है,उनके उत्कृष्ट चरित्र एवं प्राग्वृत्त के अनुसार उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।

हस्ताक्षर-------------------------

निवासी--------------------------

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक संख्या–3फ/ए/2019/तैनाती–प्रस्ताव II/2020/3635-44 लखनऊः दिनांकः 16/09/2020

शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–2364/पांच–8–2020–जी0(290)/2017टी0सी0–II दिनांक 11.09.2020 के क्रम में प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. सचिव, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा अनुभाग–8
4. निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।
5. निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ0प्र0।
6. सम्बन्धित समस्त अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उ0प्र0।,
7. अपर निदेशक (गोपन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ0प्र0।
8. समस्त सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी उत्तर प्रदेश।
9. सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10. गार्ड फाईल।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)